

55952/2023



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 025/2022-बीएचओ/
प्रति,

दिनांक : 20 /10/2023

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: बैतूल जिले के अन्तर्गत 20.14 हेक्टेयर संरक्षित एवं असीमांकित वनभूमि मेढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-3/17/2019/10-11/2/3720 दिनांक 17/08/2023.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/262 दिनांक 07/10/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 27/09/2023 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 07/10/2023 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The DFO shall revisit the proposed diversion area and verify whether the User Agency has carried out any work on forest area or whether the forest boundary of KML is shifted. If the forest boundary of KML is shifted then correct KML file to be submitted/uploaded accordingly.
2. A transmission line passing through CA area, the concerned DFO shall verify whether the said transmission line has valid FC approval.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय

(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 20-10-2023 19:08:42

Reason: Approved